न्यायालय संख्या–1

उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ

उपस्थितः– मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष।

दावा याचिका संख्या–1738/2025

उमेश कुमार यादव, (पीएनओ नं0–092560026), आयु लगभग 39 वर्ष पुत्र स्व0 सन्तोष यादव, निवासी ग्राम–बेहटा, पोस्ट व थाना–आसपुर देवसारा, जनपद–प्रतापगढ़, वर्तमान में एस0एच0ओ0 (इन्सपेक्टर) के पद पर थाना– एण्टी पावर थेप्ट, चन्दौली, उत्तर प्रदेश में कार्यरत।

..... याची

बनाम

1. उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 सिविल सचिवालय,लखनऊ।
2. पुलिस आयुक्त, कानपुर कमिश्नरेट, कानपुर नगर, उ0प्र0।
3. संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध/मुख्यालय, कानपुर नगर।
4. पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, कमिश्नरेट, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश।

..... विपक्षीगण

श्री देवांश मणि तिवारी,याची के अधिवक्ता।
श्री पारिजात मिश्र, विद्वान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, विपक्षीगण की ओर से।

निर्णय

(द्वारा मा0 न्यायमूर्ति श्रीमती साधना रानी (ठाकुर), अध्यक्ष।)

याची की ओर से यह याचिका उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत दण्डादेश दिनांकित 29–04–2024, अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 23–07–2025 एवं पुनरीक्षण आदेश दिनांकित 04–08–2025 जो पत्रावली पर कमशः संलग्नक संख्या–1 एवं 2 के रूप में मौजूद हैं को निरस्त करने एवं इन आदेशों के आधार पर रोके गये सेवा सम्बन्धी समस्त पारिणामिक लाभ दिये जाने हेतु दिनांक 06–10–2025 को प्रस्तुत की गयी।

2— आदेश दिनांकित 29—04—2024 द्वारा विपक्षी संख्या—4—पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय कमिश्नरेट कानपुर नगर ने याची को परिनिंदा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया, उक्त दण्डादेश के विरूद्व याची द्वारा दाखिल अपील एवं पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र कमशः विपक्षीसंख्या—3—संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध/मुख्यालय, कानपुर नगर एवं विपक्षीसंख्या—2—पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर द्वारा कमशः आदेश दिनांकित 23—07—2025 एवं 04—08—2025 द्वारा निरस्त किये गयें।

3— तथ्य के अनुसार विपक्षीसंख्या—4—पुलिस अधीक्षक, जनपद—कुशीनगर ने कारण बताओ नोटिस दिनांकित 21—09—2023 जारी करते हुए याची को निम्न आरोप से आरोपित किया—

> ''जब यह निरीक्षक वर्ष—2021 में अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक थाना फजलगंज, कानपुर नगर के पद पर नियुक्त रहे, तब दिनांक 16—10—2021 को समय करीब 09.30 बजे वादी श्री मनीष अग्निहोत्री पुत्र श्री शिवशंकर अग्निहोत्री निवासी—119/379 फलगंज थाना फजलगंज कानपुर नगर के भाई आशीष अग्निहोत्री की गोली मारकर हत्या कर देने के बावजूद इनके उक्त घटना स्थल पर दिनांक 16/17.10.2021 को समय 00:35 बजे लगभग 03 घण्टा विलम्ब से पहुँचे। इनके उक्त कृत्य से अनुशासित पुलिस विभाग में गलत सन्देश पहुँचा एवं उक्त प्रकरण में वादी श्री मनीष अग्निहोत्री उपरोक्त की लिखित सूचना पर मु0अ0सं0—141/2021 धारा 34/147/148/302 भादवि बनाम् आशू तोमर, व अन्य 09 अभियुक्तों के विरूद्व थाना फजलगंज कानपुर नगर पर पंजीकृत कराया गया। इनके द्वारा थाना फजलगंज में हत्या जैसे जघन्य अपराध के उपरान्त भी स्वयं 03 घण्टे विलम्ब से घटनास्थल पर पहुँचना तथा सहायक पुलिस आयुक्त नजीराबाद से आकोश एवं उत्तेजना में आकर बात करना, अपने कर्तव्य निर्वहन के प्रति घोर लापरवाही, अनुशासनहीनता, अकर्मण्यता एवं स्वेच्छाचारिता बरती गयी है, जिसकी परिनिंदा की जाती है।''

उक्त नोटिस की प्रति याची द्वारा दिनांक 07—02—2024 को प्राप्त की गयी किन्तु कतिपय कारणों से वह समय के अन्दर अपना स्पष्टीकरण

प्रस्तुत नही कर सका। अतः विपक्षीसंख्या–4–पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, कमिश्नरेट कानपुर नगर ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रारम्भिक जांच आख्या का अवलोकन कर आदेश दिनांकित 29–4–2024 पारित कर याची को परिनिंदा प्रविष्टि के दण्ड से दण्डित किया जिसके विरूद्व याची द्वारा योजित अपील एवं पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र विपक्षीसंख्या–3 एवं 2 द्वारा कमशः आदेश दिनांकित 23–07–2025 एवं 04–08–2025 द्वारा निरस्त किये गयें।

4– याची पक्ष से जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपने टंकणशुदा बयानों की ओर अधिकरण का ध्यान आकृष्ट किया गया जिसमें याची द्वारा कहा गया कि समय करीब 9.30 बजे की घटना के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक फजलगंज द्वारा उसे सीयूजी मोबाइल नम्बर से रात्रि 11.44 बजे सूचना दी गयी कि दर्शनपुरवा में एक व्यक्ति को गोली लगी है आप तत्काल मौके पर आये इसके बाद वह तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया। वह अपने परिवार के साथ किराये के मकान में संजीवनगर–2 अहिरवा चकेरी में रहता है, वहॉ से फलजगंज की दूरी 16 किलोमीटर है, अतः सूचना विलम्ब से प्राप्त होने तथा निवास स्थल पर्याप्त दूरी पर होने के कारण वह थोडी विलम्ब से करीब रात्रि 12.20 बजे घटना स्थल पर पहुॅचा। अतः सूचना मिलने के लगभग 35 मिनट माद ही वह मौके पर पहुॅच गया जिसे 03 घण्टे विलम्ब से पहुॅचा जाना कदापि नही कहा जा सकता। स्वयं प्रभारी निरीक्षक, फजलगंज भी मौके पर रात्रि 10.30 बजे पहुॅचे थे। उसके द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त, नजीराबाद से कदापि आकोश एवं उत्तेजना में कोई बात नही की गयी बल्कि उसके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि क्योंकि घटना के सम्बन्ध में सूचना उसे देरी से मिली, अतः वह कुछ विलम्ब से घटना स्थल पर पहुॅच पाया। सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी होने के पश्चात् प्रकरण में आरोप पत्र दाखिल हो चुका है। प्रभारी निरीक्षक, फजलगंज श्री अजय प्रताप सिंह भी जांच अधिकारी के समक्ष साक्ष्य हेतु उपस्थित हुए किन्तु उनके द्वारा याची को घटना के सम्बन्ध में सूचना कितने बजे दी गयी इस सम्बन्ध में कोई कथन नही किया गया, अतः जहॉ सहायक पुलिस आयुक्त के अतिरिक्त शेष सभी गवाहों ने याची द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त महोदय से आकोश व उत्तेजित होकर बात करने से इंकार किया एवं मात्र विलम्ब से आने का कारण बताना कहा कहा वहीं तत्कालिक थाना प्रभारी अजय प्रताप सिंह ने भी साक्ष्य में कहीं भी यह नही कहा कि याची द्वारा उत्तेजनापूर्वक अथवा आकोश में सहायक पुलिस आयुक्त

नजीराबाद से बात की गयी। मात्र उनके द्वारा यह कहा गया कि क्योंकि थाना स्थानीय पर नियुक्त अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक उमेश कुमार कुमार यादव घटना स्थल पर 03 घण्टे विलम्ब से पहुॅचे थे जिसे घटना स्थल पर मौजूद उच्चाधिकारियों ने खिन्नता व्यक्त की थी। इस प्रकार याची द्वारा प्रकरण की सूचना मिलने के .35 मिनट बाद ही अपने संजीव नगर–2 अहिरवा चकेरी स्थित निवास स्थान से पहुॅचा गया है तथा उसके द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त महोदय से आक्रोश एवं उत्तेजना में बात नही की गयी है। थाना प्रभारी श्री अजय प्रताप सिंह द्वारा याची को कब सूचना दी गयी इस सम्बन्ध में उनके मोबाइल की कोई सीडीआर पेश नही की गयी जो पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र संख्या–29/2022 दिनांकित 14–09–2022 में दिये गये मार्गदर्शक बिन्दुओं का उल्लंघन है।

5– याची पक्ष से यह भी तर्क लिया गया कि दण्डाधिकारी का आदेश एक मौन व अकारण परित आदेश है जिसमें उन्होंने याची द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किये जाने से मात्र का याची की स्वीकारोक्ति मानते हुए प्रश्नगत दण्डादेश पारित किया है जिसमें निष्कर्ष तक पहुॅचने का भी कोई कारण कदापि नही दिया गया है। तदनुसार प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 29–04–2024 एवं इसके पश्चात्वर्ती पारित अपील निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 23–07–2025 एवं पुनरीक्षण निरस्तीकरण आदेश दिनांकित 04–08–2025 को निरस्त करने एवं याचिका को स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

6– विपक्षी पक्ष से याची के तर्को से इंकार करते हुए कथन किया गया कि याची को जांच अधिकारी द्वारा प्रकरण में दोषी पाया गया है। स्वयं याची द्वारा तथा समस्त गवाहों द्वारा याची को मौके पर विलम्ब से पहुॅचना बताया गया है। स्वयं सहायक पुलिस आयुक्त, नजीराबाद द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर पेश किए अपने टंकणशुदा बयान में याची द्वारा स्वयं से आक्रोश एवं उत्तेजना में बात करनी बतायी गयी है, सहायक पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष पेश बयानों में कहा गया कि उन्होंने उमेश कुमार यादव से विलम्ब से आने का कारण पूछा तो वह आक्रोश एवं उत्तेजना से बोले कि मैं ऐसे ही आऊंगा, आपको जिससे कहना हो कह दीजिए। इस प्रकार याची द्वारा जहॉ मौके पर 03 घण्टे देरी से पहुॅचने के तथ्य को स्वीकार किया गया वही जिस अधिकारी से याची द्वारा उत्तेजना एवं आक्रोश में बात की गयी उसके द्वारा भी इस तथ्य को जांच अधिकारी के समक्ष दिये

अपने बयानों में दोहराया गया। तदनुसार दण्डादेश एवं इसके पश्चात्वर्ती पारित अपीलीय आदेश एवं पुनरीक्षण आदेश के पारित करने में किसी नियम, कानून अथवा प्रकिया का उल्लंघन न होना बताते हुए इनमें किसी हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बताया गया एवं याचिका को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी।

7— उपरोक्त अभिकथनों पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के कथनों को सुनने एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन करने के पश्चात मैं निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुॅचती हूॅ—

8— याची पर आरोप है कि वह दिनांक 16—10—2021 को रात्रि 9.30 बजे आशीष अग्निहोत्री की गोली मारकर हत्या कर देने सम्बन्धी प्रकरण में दिनांक 16/17.10.2021 को समय 00:35 बजे लगभग 03 घण्टा विलम्ब से पहुॅचे एवं उसके द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त नजीराबाद से आक्रोश एवं उत्तेजना में आकर बात की गयी।

9— इस सम्बन्ध में यदि जांच आख्या को देखा जाये तो कथित जांच याची के विरूद्व मात्र घटना स्थल पर 03 घण्टे देरी से पहुॅचने के सम्बन्ध में हुई। याची द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त, नजीराबाद से आक्रोश एवं उत्तेजना में आकर बात की गयी हो इस सम्बन्ध में कोई भी जांच नही की गयी तथा उक्त जांच आख्या दिनांकित 12—09—2023 का अवलोकन किया जाये तो इसमें याची को विलम्ब से घटनास्थल पर पहुॅचने के साथ—साथ सहायक पुलिस आयुक्त, नजीराबाद से आक्रोश एवं उत्तेजना में आकर बात करने का भी दोषी पाया गया। जहॉ तक रात्रि 9.30 बजे की घटना के सम्बन्ध में याची द्वारा 0.35 बजे घटनास्थल पर पहुॅचने का प्रश्न है, याची के टंकणशुदा बयानों के अनुसार प्रकरण की सूचना उसे प्रभारी निरीक्षक, फजलगंज श्री अजय प्रताप सिंह द्वारा अपने सीयूजी मोबाइल से 11.44 बजे पर दी गयी एवं उसे तत्काल मौके पर बुलाया गया। याची के अनुसार वह मात्र 35 मिनट में 12.20 बजे घटनास्थल पर पहुॅच गया। उसका घर घटनास्थल से लगभग 16 मिलोमीटर दूर है। याची के अनुसार उक्त 16 मिलोमीटर की दूरी में इतना समय लगना स्वाभाविक था। याची का निवास घटनास्थल से 16 मिलोमीटर दूर होने के सम्बन्ध में जांच अधिकारी, गवाहों, सहायक पुलिस आयुक्त, नजीराबाद तथा तत्कालिक थाना प्रभारी निरीक्षक श्री अजय प्रताप सिंह द्वारा कदापि कोई आपत्ति नही की गयी जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि याची घटनास्थल पर 16 किलोमीटर दूर अपने निवास स्थान से घटना स्थल पर पहुॅचा।

10— याची तथा गवाहों ने याची को विलम्ब से 12.20 बजे घटनास्थल पर पहुॅचना बताया किन्तु उक्त विलम्ब से आने का कारण याची ने अपने टंकित बयान में यह बताया कि घटना की सूचना उसे प्रभारी निरीक्षक, फजलगंज द्वारा उनके सीयूजी मोबाइल द्वारा रात्रि में 11.44 बजे दी गयी एवं उसे तत्काल मौके पर बुलाया गया। इससे वह तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया एवं मौके पर पहुॅचा। उक्त थाना प्रभारी निरीक्षक, अजय प्रताप सिंह द्वारा जांच अधिकारी के समक्ष व्हाट्सअप के जरिये अपने बयानों में याची के उक्त कथनों का कहीं विरोध नही किया गया। उनके द्वारा रात्रि 11.44 पर अपने सीयूजी मोबाइल से याची को घटना की सूचना देते हुए उसे घटनास्थल पर बुलाया गया इस सम्बन्ध में उनके मोबाइल की कोई सी0डी0आर0 नहीं ली गयी जो पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के परिपत्र संख्या—29/2022 दिनांकित 14—10—2022 के मार्गदर्शक बिन्दु संख्या—6 के का उल्लंघन है। क्योंकि स्वीकृत रूप से थाना प्रभारी निरीक्षक महोदय ने याची को फोन पर घटना की सूचना दी थी, इस सम्बन्ध में जांच अधिकारी को उनके मोबाइल की सीडीआर तलब करनी चाहिए था किन्तु विपक्षी पक्ष से इस सम्बन्ध में कोई सीडीआर तलब नही की गयी जिससे याची का कथन बलयुक्त हो जाता है कि उसके घटनास्थल पर विलम्ब से पहुॅचने का कारण थाना प्रभारी निरीक्षक फजलगंज द्वारा उसे अपने सीयूजी मोबाइल से देरी से यानी 11.44 बजे घटना की सूचना देना था। जिसके फलस्वरूप वह 35 मिनट बाद ही समय 12.20 बजे घटना स्थल पर पहुॅच गया। अतः तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक के मोबाइल की सीडीआर पेश न किये जाने तथा उक्त प्रभारी निरीक्षक श्री अजय प्रताप सिंह द्वारा अपनी साक्ष्य में भी याची की उक्त तर्क का विरोध न किये जाने से याची के कथन बलयुक्त हो जाते है कि उसे मौके पर पहुॅचने में देरी इस कारण हुई कि उसे घटना की सूचना ही तत्कालिक प्रभारी निरीक्षक, थाना—फजलगंज द्वारा रात्रि में 11.44 बजे दी गयी जिसके पश्चात् वह अपने 16 किलोमीटर दूर निवास स्थान से 35 मिनट में रात्रि करीब 12. 20 बजे घटना स्थल पर पहुॅचा।

11— जहॉ तक याची द्वारा सहायक आयुक्त, नजीराबाद से आक्रोश एवं उत्तेजना में बात करने का प्रश्न है याची ने इस आरोप से भी इंकार किया। उक्त सहायक पुलिस आयुक्त ने जांच अधिकारी के समक्ष अपने टंकण शुदा बयानों में याची द्वारा स्वयं से आक्रोश एवं उत्तेजना में बात करना बताया एवं बताया कि याची ने आक्रोश एवं उत्तेजना में आकर

कहा कि वह ऐसे ही आयेगा आयुक्त महोदय को जो करना हो या जिससे कहना हो कह दीजिए। इस सम्बन्ध में जांच अधिकारी के समक्ष आरक्षी नीरज कुमार, आरक्षी ऋषि कुमार, उ0नि0राहुल शुक्ला तथा निरीक्षक श्री अजय कुमार सिंह द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के कथनों का कदापि समर्थन नही किया गया। आरक्षी नीरज कुमार द्वारा कहा गया कि अतिरिक्त निरीक्षक श्री उमेश कुमार यादव द्वारा श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त से आक्रोश एवं उत्तेजित होकर बात नही की गयी बल्कि विलम्ब से आने का कारण अपना कारण उन्होंने महोदय को बताया था। आरक्षी ऋषिकुमार ने भी समान कथन कहे। उप निरीक्षक राहुल शुक्ला, चौकी प्रभारी ने इस सम्बन्ध में कोई जानकारी न होना बताया तथा निरीक्षक श्री अजय प्रताप सिंह ने भी व्हाट्सअप के माध्यम से प्रेषित अपने हस्तलिखित बयान में याची द्वारा सहायक पुलिस आयुक्त नजीराबाद से आक्रोश अथवा उत्तेजना में बात करने के सम्बन्ध में कोई कथन नही कहे गये। कथित जो जांच याची के विरूद्व की गयी वह भी याची द्वारा उत्तेजना व आक्रोश में आकर सहायक पुलिस आयुक्त नजीराबाद से बात करने के सम्बन्ध में नही की गयी।

12— यद्यपि जांच अधिकारी द्वारा याची को सहायक पुलिस आयुक्त महोदय से आक्रोश एवं उत्तेजना में बात करने का भी दोषी पाया गया किन्तु इस सम्बन्ध में दण्डादेश में दण्डाधिकारी महोदय ने मात्र याची द्वारा नोटिस का जवाब न दिया जाना याची के विरूद्व लगाये गये आरोप की पुष्टि के लिए पर्याप्त पाया तथा आदेश में अंकित किया कि आरोपी द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किये जाने से स्पष्ट है कि आरोपित को लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में कुछ नही कहना है और उसे प्रकरण में कारण बताओ नोटिस में लगाये गये आरोप स्वीकार है। इस प्रकार दण्डाधिकारी ने मात्र याची द्वारा नोटिस का जवाब न दिये जाने को आधार बनाते हुए आरोप पर याची की स्वीकारोक्ति पाते हुए उसे दण्डित किया गया है जो विधि विरूद्व है।

13— नजीर रिट—ए संख्या—301 सन् 2023 उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह पुलिस अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश एवं अन्य बनाम् तेजपाल गौतम में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ खण्ड पीठ, लखनऊ में निम्न सिद्वान्त प्रतिपादित किया गयाः

> **"9. The punishment order merely states that the respondent did not submit his reply to the show cause notice and the disciplinary authority could not find any material on the basis whereof the respondent**

> **could be exonerated of the charges. The disciplinary authority has not mentioned any material which could establish the guilt of the respondent. The general Principle regarding discharge of the burden of proof applies to disciplinary proceedings also and for passing an order of punishment, it is necessary that the charges against the employee can not be said to be proved merely because he could not prove his innosense."**

इस प्रकार यह स्पष्ट तथा विधि का स्थापित सिद्वान्त है कि जहॉ पर आरोपी कार्मिक प्रकिया में भाग नही लेता वहॉ भी अनुशासनिक अधिकारी का यह दायित्व है कि मामले का निस्तारण गुण–दोष के आधार पर करते हुए सकारण एवं मुखरित आदेश पारित करें। इस प्रकार दण्डाधिकारी को चाहिए था कि याची कोई स्पष्टीकरण देता अथवा न देता परन्तु वह प्रकरण के पूर्णतया गुण–दोष को विवेचित करते हुए साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित करते परन्तु इस मामले में दण्डाधिकारी द्वारा ऐसा न करके मात्र याची के द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत न करने के आधार पर याची को लगाये गये आरोप का दोषी मान लिया गया।

14– माननीय उच्चतम न्यायालय ने नजीर कान्ति एसोसियेट्स प्राईवेट लिमिटेड व अन्य बनाम् मसूद अहमद खान व अन्य, (2010)9 सुप्रीम कोर्ट केसेज–496 में प्रतिपादित किया कि दण्डादेश पारित करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह आदेश में निष्कर्ष तक पहुॅचने का कारण स्पष्ट करे। बिना कारण पारित किया गया आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत है। परिणामतः प्रश्नगत दण्डादेश दिनांकित 29–04–2025 सकारण व गुण–दोष पर पारित आदेश न होकर मौन व अकारण पारित आदेश है जिसमें पत्रावली पर मौजूद मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य को कदापि अंकित व विवेचित नहीं किया गया। अतः उक्त दण्डादेश दिनांकित 29–04–2024 एवं उसके पश्चात्वर्ती पारित अपीलीय आदेश दिनांकित 23–07–2025 एवं पुनरीक्षण आदेश दिनांकित 04–08–2025 निरस्त होने योग्य है और याची की याचिका स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

याची की याचिका स्वीकार की जाती है। विपक्षीसंख्या–4–पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, कमिश्नरेट, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश द्वारा पारित दण्डादेश दिनांकित 29–04–2024, विपक्षीसंख्या–3–संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध/मुख्यालय, कानपुर नगर द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांकित 23–07–2025 एवं विपक्षीसंख्या–2–पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर, उ0प्र0 द्वारा

पारित पुनरीक्षण आदेश दिनांकित 04–08–2025 जो पत्रावली पर कमशः संलग्नक संख्या– 1,2 एवं 3 के रूप में मौजूद हैं निरस्त किये जाते है। याची तदनुसार सेवा सम्बन्धी समस्त पारिणामिक लाभ पाने का अधिकारी है। इस निर्णय का अनुपालन इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह के अन्दर सुनिश्चित हो।

उभयपक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेगे।

ह0
(न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर)
अध्यक्ष

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित किया गया।

ह0
(न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर)
अध्यक्ष

दिनांक : 20–08–2026
आरपी/पीएस